10/18/2003-डीजीएडी

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

<u>व्यापार नोटिस सं. 1/2004</u>

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च, 2004

<u>बिषयः पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के संदर्भ में मध्य आवधिक समीक्षा प्रारंभ करने के संबंध में स्पष्टीकरण।</u>

वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 और व्यापार नोटिस संख्या 1/99 दिनांक 21.04.1999 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार, निर्यातकों, आयातकों, घरेलू उत्पादकों, व्यापार प्रतिनिधि निकायों, फर्मों अथवा संस्थानों, घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में निर्दिष्ट प्राधिकारी को लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्य आवधिक समीक्षा आरंभ करने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। आवेदक ऐसी समीक्षा करने की जरूरत को प्रमाणित करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करेंगे।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक अंतरिम/मध्य आवधिक समीक्षा करने के लिए किए गए आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित करने के आदेश की तारीख के बाद से कम से कम एक वर्ष बीत चुका हो।

4. इसमें निहित किसी बात के बावजूद, निर्दिष्ट प्राधिकारी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी स्वयं की पहल पर शुल्क को निरंतर जारी रखने की जरूरत की समीक्षा कर सकते हैं।

5. जहां तक निर्णायक समीक्षा आरंभ करने का संबंध है, दिनांक 05.01.2004 के व्यापार नोटिस संख्या 1/2003 के तहत दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

6. सभी व्यापार संघों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से यह अनुरोध है कि वे इस व्यापार नोटिस के अंशों को अपने सदस्यों/संघटकों की जानकारी में लाएं।

7. नई दिल्ली स्थित सभी दूतावासों और राजनयिक मिशनों से यह अनुरोध है कि वे इस व्यापार नोटिस के अंशों को अन्य संबंधित की जानकारी में लाएं।

हस्ता./

(एम.एस. राव)

निदेशक

कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

फोन 011-2301 4418

संलग्न सूची के अनुसार।